हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

पंचम् सत्र

सोमवार, 19 फरवरी, 2024/30 माघ, 1945(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

    (1) **तारांकित :**

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा
(ii) दिन के लिए		उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

    (2) **अतारांकित :**

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा
(ii) दिन के लिए		पटल पर रखे जाएंगे।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

    श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 19 फरवरी, 2024 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

3. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

    (1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

    (i) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (38/2016) की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्रधिकरण (कैम्पा) का 9वाँ तथा 10वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-2018 तथा वर्ष 2018-2019 (विलम्ब के कारणों सहित);

    (ii) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23;

(iii) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023;

(2) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 42वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2022-23 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री**, बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण, शिमला का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अतिरिक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या:इन्ड-ए (ए) 3-5/2023, दिनांक 24.01.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.01.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(5) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री**, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

4. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट अनुमान:

सामान्य चर्चा ।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 17 फरवरी, 2024 **सचिव।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)